

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला जयपुर

अनवान - प्रतिवादी विरुद्ध आदि बनाम पत्रावली विरुद्ध आदि

प्रकरण संख्या 175 / 2022 अन्तर्गत धारा 88, 188, 53

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
	<p>को सूना गया व पत्रावली का अंतर्गत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का 10 का कोउन्डर क्लेम नोटिफिकेशन करने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वारंते अन्तर्गत दिनांक 31/10/2023 को पेश हो।</p>
31/10/23	<p>वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 21/11/23 को पेश हो।</p>
21/11/23	<p>वादीगण व वादीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को रफ-2 कर उबार आवांज लगवाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 RFA अदम पेशवी, अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर गम्बर से कम होकर दाखिल वफुदर हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर